-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.08.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना नरैनी पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का किया गया भंडाफोड़ । भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित तमंचे, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण किए गए बरामद । 02 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।**
- **अभियुक्त घर में करते थे अवैध शस्त्रों का निर्माण । निर्मित अवैध शस्त्रों की 07 से 08 हजार रुपये प्रति तमंचा बांदा व उसके आस-पास के जनपदों में करते थे बिक्री ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा अवैध शस्त्रों के निर्माण, संग्रहण एवं बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नरैनी श्री प्रवीण कुमार के नेतृत्व में थाना नरैनी पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में निर्मित एवं अर्धनिर्मित अवैध तमंचे, कारतूस तथा शस्त्र निर्माण में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए हैं । गौरतलब है कि दिनांक 24/25.08.2026 की देर शाम थाना नरैनी पुलिस टीम अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण तथा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थी । इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मोतियारी के बाहर कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने घर के अंदर अवैध शस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है । सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी एवं छापेमारी की गई, जहां 02 अभियुक्तों को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए मौके से गिरफ्तार कर लिया गया । तलाशी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में निर्मित एवं अर्धनिर्मित तमंचे, कारतूस तथा अवैध शस्त्र बनाने में प्रयुक्त विभिन्न उपकरण बरामद हुए । पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे अपने घर में अवैध तमंचों का निर्माण करते थे तथा निर्मित अवैध शस्त्रों को 07 से 08 हजार रुपये प्रति तमंचा बांदा एवं आसपास के जनपदों में बिक्री/सप्लाई करते थे । पुलिस द्वारा अभियुक्तों से पूछताछ कर अवैध शस्त्र निर्माण एवं बिक्री के इस नेटवर्क में इनके साथ काम करने वाले, सहयोग करने वाले तथा अवैध शस्त्रों की खरीद-फरोख्त में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है । इस संबंध में प्राप्त तथ्यों के आधार पर अन्य संलिप्त अभियुक्तों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध भी आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी । बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नरैनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई तथा गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय

के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बांदा पुलिस द्वारा अवैध शस्त्रों के निर्माण, संग्रहण एवं बिक्री के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी-

- 06 अवैध तमंचा (चालू हालत)
- 01 अवैध तमंचा (चालू हालत में नहीं)
- 02 अवैध तमंचा (अर्धनिर्मित)
- 02 जिंदा कारतूस
- धौंकनी,ग्लैण्डर, ड्रिल, शिकंजा, नोहाई, हथौड़ी, सुम्मी, छेनी, ब्लेड तथा भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. देवीदीन पुत्र लुक्खू निवासी ग्राम रामनई थाना अजयगढ़ जनपद पन्ना (म0प्र0)।
2. रामस्वरूप उर्फ मुल्ला पुत्र मैकू निवासी ग्राम मोतियारी थाना नरैनी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग -

- मु0अ0सं0 232/26 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।

अभियुक्त देवीदीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 165/10 धारा 307 भादवि0 थाना नरैनी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 166/10 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 252/11 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 232/26 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।

अभियुक्त रामस्वरूप उर्फ मुल्ला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 50/07 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 232/26 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना नरैनी श्री भास्कर मिश्रा
2. उ0नि0 श्री मु0 ऐश खाँ
3. उ0नि0 श्री विनोद सिंह
4. हे0कां0 नरेश कुमार
5. कां0 अंकित सिंह
6. कां0 आशु सिंह
7. कां0 अजय यादव
8. कां0 अनूप मिश्रा
9. कां0 सुनील कुमार